न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

क्रमांक रीडर/2024/ 9518 दिनांक – 05.12.25

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 जेताराम पुत्र रूगाराम वगैराह जाति जाट निवासी मुकनाणियों की ढाणी, भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।		1 राणाराम पुत्र खेमाराम वगैराह जातियान जाट निवासी मुकनाणियों की ढाणी, भीमड तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 420/2025 दिनांक– 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, **प्रकरण मौजा मुकनाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 541 रकबा 18.2510 हैक्टेयर, खसरा संख्या 544 रकबा 1.2297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 551 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 552 रकबा 8.6887 हैक्टेयर, खसरा संख्या 568 रकबा 9.6837 हैक्टेयर, खसरा संख्या 786/568 रकबा 3.4625 हैक्टेयर, भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 9519-9522 दिनांक– 05.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भीमडा तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण जेताराम पुत्र रूगाराम वगैराह जाति जाट निवासी मुकनाणियों की ढाणी, भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण राणाराम पुत्र खेमाराम वगैराह जातियान जाट निवासी मुकनाणियों की ढाणी, भीमड तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 09:54:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर